बिहार सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 108 / 2021–963

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन संरक्षक,
पटना अंचल, पटना।

पटना–14, दिनांक–26 / 10 / **2021**

विषय : नालंदा जिलान्तर्गत पनहार–कोचरा मोड तक पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.02954 हे० वन भूमि का "मण्डल अभियन्ता (दूरसंचार), भारत संचार निगम लिमिटेड, बिहारशरीफ, नालंदा" के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.09.2015 पत्रॉक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 के आलोक में तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार, के पत्रांक 831 (ई०) दिनांक 21.10.2019 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को Stage-I स्वीकृति निर्गत करने हेतु सहमति संसूचित की गयी है।

तद्आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ नालंदा जिलान्तर्गत पनहार–कोचरा मोड तक पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु 0.02954 हे० वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है–

(i) अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

(ii) परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि 0.02954 हे० में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन वर्ष 2021 में किया गया है। तद्आलोक में MoEF&CC, नई दिल्ली के पत्रांक 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार NPV के समतुल्य राशि रू० 18,492 / – मात्र का 20% राशि रू० 3,698 / – (रूपये तीन लाख छः सौ अनठानवें) मात्र वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करने के कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किया जायेगा।

(iii) Panel NPV मद की कुल राशि रू० 3,698 / – (रूपये तीन हजार छः सौ अनठानवें) मात्र को मंत्रालय के वेब–साईट **parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराया जायेगा।**

(iv) उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

(v) वर्तमान में इस परियोजना में NPV मद की राशि जमा करने से प्रयोक्ता एजेंसी को छूट प्रदान की गयी है, परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा संशोधन या NPV के दर में वृद्धि होने पर राशि जमा करने के संबंध में प्रयोक्ता एजेंसी को वचनबद्धता देनी होगी कि उनके द्वारा अतिरिक्त/अन्तर की राशि जमा की जायेगी।

(vi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

(vii) वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकालने के लिये नहीं किया जायेगा, और न ही अपशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा।

(viii) वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिये अतिरिक्त अथवा नये पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।

(ix) वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (Labour Camp) नहीं बनाया जायेगा।

(x) वन क्षेत्र से बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को ईंधन आपूर्त्ति का दायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा। प्रयोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि वन एवं वन्य प्राणियों को प्रयोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा रहें हैं।

(xi) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करने के कारण प्रयोक्ता एजेंसी पर विधि सम्मत कार्रवाई किया जायेगा।

(xii) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।

(xiii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा, जो समय–समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।

(xiv) यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्तें आवश्यक होगी तो कालान्तर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं प्रयोक्ता एजेंसी के लिये यह बाध्यकारी होगा।

(xv) उपभोक्ता अभिकरण (इस मामले में मण्डल अभियन्ता (दूरसंचार), भारत संचार निगम लिमिटेड, बिहारशरीफ, नालंदा) अपयोजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति, प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तान्तरण/अभ्यर्पण (assignment) नहीं करेगी।

अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश Laying of underground CNG and PNG पाईप लाईन के लिये सामान्य स्वीकृति के तहत अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जाता है।

उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात विषयांकित परियोजना के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के तहत अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। नोडल पदधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा वन भूमि अपयोजन की अन्तिम स्वीकृति आदेश निर्गत करने के पश्चात ही उक्त वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–व.सं. / 108 / 2021–963 दिनांक 26/10/2021

प्रतिलिपिः वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल बिहारशरीफ / मण्डल अभियन्ता (दूरसंचार), भारत संचार निगम लिमिटेड, बिहारशरीफ, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक–व.सं. / 108 / 2021–963 दिनांक 26/10/2021

प्रतिलिपिः उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक–व.सं. / 108 / 2021–963 दिनांक 26/10/2021

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/21

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

O/C